

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

नर्मदा भवन, द्वितीय तल 'सी' विंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./५५२७/स्था./NR-2/MGNREGS-MP/2010  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०५-०५-१०


1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक  
जिला समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक  
जिला समस्त

विषय: महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के अंतर्गत जिला स्तर से संविदा उपयंत्रियों के चयन विषयक।

उपरोक्त विषयांतर्गत म.प्र. शासन द्वारा जिला स्तर से संविदा उपयंत्रियों के चयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। विभिन्न जिलों में ' जिला स्तर से संविदा उपयंत्रियों के चयन एवं नियुक्ति के संबंध व्याप्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु मार्गदर्शन मांगा गया है, जो कि निम्नानुसार है :-

क्र.	जिलों द्वारा मार्गदर्शन के बिन्दु	परिषद का अभिमत
1.	टेकेदार/प्राइवेट कंपनी के अनुभव पर अंक दिये जावेंगे या नहीं।	अनुभव को शासकीय/ अशासकीय संस्थाओं का मान्य किया जावेगा।
2.	अनुभव के अंक देने हेतु किस शास. संस्था/विभाग के अनुभव मान्य किये जायेंगे।	समस्त शासकीय / अशासकीय संस्थाओं का अनुभव मान्य किया जावेगा।
3.	शासकीय विभाग में (जैसे: ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक निर्माण विभाग) पंजीयन धारी आवेदक को अनुभव के अंक दिये जाने हैं या नहीं।	स्वयं के पंजीयन पर अनुभव के अंक नहीं दिये जावेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

  
(रूही खान)  
उपायुक्त


म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

क्र./५५२८/स्था./एनआर-2/एमजीएनआरईजीएस-एमपी/2010

भोपाल, दिनांक ०५-०५-१०

प्रतिलिपि :-

समस्त संभागायुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।

  
उपायुक्त  
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

Letter''''''